छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा एकादश सत्र अंक-21

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 30 मार्च, 2017

(चैत्र 9, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 11 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री शिवरतन शर्मा अनुपस्थित रहे।

तारांकित प्रश्न संख्या 07 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री जय सिंह अग्रवाल के स्थान पर श्री रामदयाल उईके एवं प्रश्न संख्या 09 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अमरजीत भगत के स्थान पर श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 04 तारांकित एवं 26 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने -

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद - 151 के खंड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए :-

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, (वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-1)

(ii) सामान्य, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, (वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-2)

(iii) राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, (वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या-3)

(iv) राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, (वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या-4),

2. छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014, तथा

3. छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 2/एफ-06-01001226/2017/वित्त/वि.आ.प्र.,दिनांक 31 जनवरी, 2017 **पटल पर रखे।**

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

4. ध्यानाकर्षण सूचना

मानननीय सभापति ने सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 49 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल कर यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने प्रदेश में छात्रवृत्ति में अनियमितता करने के दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने रायगढ़ जिले के उद्योगों द्वारा स्टाम्प शुक्ल में छूट की राशि जमा नहीं किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य ने जिला राजनांदगांव में वृक्षों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री अमित अजीत जोगी, अमरजीत भगत (अनुपस्थित), डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य ने बिलासपुर जिले की अरपा भैंसाझार परियोजनाओं के निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
5.	सर्वश्री भूपेश बघेल, उमेश पटेल, श्रीमती देवती कर्मा
6.	श्री देवजी भाई पटेल
7.	श्री धनेन्द्र साहू
8.	श्री देवजी भाई पटेल
9.	श्री संतोष बाफना
10.	श्री केशव चन्द्रा
11.	श्री टी.एस.सिंहदेव
12.	सर्वश्री भूपेश बघेल, लालजीत सिंह राठिया
13.	सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल, मोतीलाल देवांगन
14.	श्री मोतीलाल देवांगन

15. श्री केशव चन्द्रा
16. सर्वश्री भूपेश बघेल, दीपक बैज
18. श्रीमती अनिला भेड़िया, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम
20. श्री दलेश्वर साहू
21. सर्वश्री दीपक बैज, कवासी लखमा
22. डॉ. खिलावन साहू
23. डॉ. विमल चोपड़ा
24. श्री बघेल लखेश्वर
25. डॉ. प्रीतम राम
26. श्री दलेश्वर साहू
27. श्री पारसनाथ राजवाड़े
28. सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, मोहन मरकाम, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम
29. श्री भोजराज नाग
30. डॉ. विमल चोपड़ा
31. श्री देवजी भाई पटेल
32. श्रीमती अनिला भेंड़िया
33. सर्वश्री लालजीत सिंह राठिया, श्री टी.एस.सिंहदेव, मोहन मरकाम
34. श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
35. श्री शंकर ध्रुवा
36. श्री देवजी भाई पटेल
37. श्री देवजी भाई पटेल
39. श्री धनेन्द्र साहू
40. श्री देवजी भाई पटेल
41. श्री सियाराम कौशिक
42. श्री राजेन्द्र कुमार राय
43. श्री सियाराम कौशिक
44. सर्वश्री शंकर ध्रुवा, मोहन मरकाम
45. श्री नवीन मारकण्डेय
46. श्री भूपेश बघेल, डॉ. प्रीतम राम, श्री दीपक बैज
47. श्री मोतीलाल देवांगन
48. श्री देवजी भाई पटेल
49. श्री अमित अजीत जोगी

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को उन्होंने सदन में 11 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन
(2) डॉ. विमल चोपड़ा
(3) श्री अरूण वोरा
(4) श्री सत्यनारायण शर्मा
(5) श्री देवजी भाई पटेल
(6) श्री दलेश्वर साहू
(7) श्री संतोष उपाध्याय
(8) डॉ. प्रीतम राम
(9) श्री अवधेश चंदेल
(10) श्री बघेल लखेश्वर
(11) श्री दीपक बैज

6. संकल्प

"यह कि 'मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 16)' को यह विधानसभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अंतर्गत अंगीकृत करता है। फलस्वरूप ' मानव अंग और ऊतक का प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (संख्यांक 42/1994)' को छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया जाये।"

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री शिवरतन शर्मा, डॉ. प्रीतम राम, डॉ. खिलावन साहू। ,

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

7. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

"यह सदन संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (2) के पद (क) एवं विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 100 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017) का अननुमोदन करता है।"

श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
सर्वश्री भूपेश बघेल, अमित अजीत जोगी।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि वाणिज्यिक कर मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में श्री अमित अजीत जोगी, श्री सियाराम कौशिक, श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य की ओर से एक समान संशोधन की एक-एक सूचना प्राप्त हुई है। चूंकि श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य की ओर से संशोधन की सूचना पहले प्राप्त हुई है अत: मैं उनका नाम पुकारूंगा।

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि - छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017) पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017) पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री सत्यनारायण शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, मोहन मरकाम, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, बृहस्पत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, भूपेश बघेल, केशव चन्द्रा, डॉ. विमल चोपड़ा, श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ। माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि खंड 2 में एक संशोधन है।

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने विधेयक के खंड - 2 में संशोधन प्रस्तुत किया कि -
"1. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18 क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात - **18 क. निर्माण, विक्रय आदि का एकांतिक अधिकार को रोकने की शक्ति -** इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के होते हुए भी छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी मादक या विकृत मद्‌यासारमय पदार्थ या भांग के निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, भण्डारण, खरीदी या थोक अथवा खुदरा बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा तथा ऐसा करने पर 10 वर्ष की सजा तक देने का प्रावधान रहेगा,

परन्तु अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यस्क इन पदार्थों का केवल और केवल स्वयं के उपयोग के लिए निर्माण कर सकेगा।

2. खण्ड -2 के अंतर्गत 18 क के प्रस्तावित संशोधन के पद (2) एवं (3) को विलोपित किया जाए।"

संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने संक्षिप्त भाषण दिया।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 3 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ।

प्रस्ताव के पक्ष में 49 एवं विपक्ष में 33 मत पड़े।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017) पर विचार किया जाए एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 45 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

9. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री संतोष बाफना, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा, डॉ0 विमल चोपड़ा द्वारा महासमुंद जिले के तत्कालीन जिलाधीश श्री उमेश कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, श्री दीपक कुमार झा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, श्री ओंकार यदु एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, श्री राजेश कुकरेजा के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 27.11.2014 को, विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

10. समितियों का निर्वाचन

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए क्रमश: नौ-नौ उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि तीनों समितियों के लिए क्रमश: नौ-नौ सदस्य ही निर्वाचित किये जाना है, अत: मैं निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समितियों के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं:-

लोक लेखा समिति

1. श्री संतोष बाफना
2. श्री अवधेश सिंह चंदेल
3. श्री देवजी भाई पटेल
4. श्री विद्यारतन भसीन
5. श्री रोशनलाल
6. श्री टी.एस. सिंहदेव
7. श्री सत्यनारायण शर्मा
8. श्री अरूण वोरा
9. श्री रामदयाल उईके

श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्राक्कलन समिति

1. श्री शिवरतन शर्मा
2. डॉ. खिलावन साहू
3. श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
4. श्री चुन्नीलाल साहू(खल्लारी)
5. श्री अशोक साहू
6. श्री धनेन्द्र साहू
7. श्री भोलाराम साहू
8. श्री बघेल लखेश्वर
9. श्री जयसिंह अग्रवाल

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. श्री संतोष उपाध्याय
3. श्री श्रीचंद सुंदरानी
4. श्री श्यामबिहारी जायसवाल

5. श्री नवीन मारकण्डेय
6. श्री गुरूमुख सिंह होरा
7. श्री अमरजीत भगत
8. श्री दलेश्वर साहू
9. श्री दीपक बैज

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नौ सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नौ उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए नौ सदस्य ही निर्वाचित किए जाना हैं, अत: मैं निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं:-

1. श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
2. श्री रामलाल चौहान
3. श्री भोजराज नाग
4. श्री श्याम बिहारी जायसवाल
5. डॉ. खिलावन साहू
6. श्री अमरजीत भगत
7. श्री मनोज सिंह मण्डावी
8. श्री दिलीप लहरिया
9. श्री धनेन्द्र साहू

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

12. नाम-निर्देशित समितियों का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 के उप नियम (1), 208 के उप नियम (1), 213, 217 के उप नियम (1), 224 के उप नियम (2), 225 के उप नियम (1), 231 के उप नियम (2), 232 के

उप नियम (1), 233 के उप नियम (1), 234-ग, 234-घ के उप नियम (2) एवं 234-ज के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निम्नानुसार समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2017-2018 की अवधि में सेवा करने के लिए तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त करता हूं:-

कार्य मंत्रणा समिति

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री
4. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री
5. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा
6. श्री भूपेश बघेल
7. श्री सत्यनारायण शर्मा
8. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी

विशेष आमंत्रित सदस्य:-

1. श्री बद्रीधर दीवान, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा
2. श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री
3. श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री
4. श्री धनेन्द्र साहू
5. श्री खेलसाय सिंह

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री अशोक साहू
2. श्री रामलाल चैहान
3. श्रीमती सरोजनी बंजारे
4. श्री विद्यारतन भसीन
5. श्री उमेश पटेल
6. श्री गिरवर जंघेल
7. श्री शंकर ध्रुवा

श्री अशोक साहू, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

याचिका समिति

1. श्री श्रीचंद सुंदरानी
2. श्री बर्नाड जे. रोड्रिग्स
3. श्रीमती केराबाई मनहर
4. श्री केशव चन्द्रा
5. श्री चिंतामणी महाराज
6. श्री गुरूमुख सिंह होरा
7. श्री गिरवर जंघेल

श्री श्रीचंद सुंदरानी, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. डॉ. खिलावन साहू
2. श्री रोहित कुमार साय
3. श्री श्रवण मरकाम
4. श्री अशोक साहू
5. श्री खेलसाय सिंह
6. श्री मोतीलाल देवांगन
7. श्री मनोज सिंह मण्डावी

डॉ. खिलावन साहू, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)
2. डॉ. सनम जांगड़े
3. श्री संतोष उपाध्याय
4. श्री रोशनलाल
5. श्री बृहस्पत सिंह
6. श्री जनकराम वर्मा

7. श्री भैयाराम सिन्हा

श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

विशेषाधिकार समिति

1. श्री संतोष बाफना
2. श्री देवजी भाई पटेल
3. श्री रोशनलाल
4. श्री शिवरतन शर्मा
5. श्री मोतीलाल देवांगन
6. श्री भूपेश बघेल
7. श्री कवासी लखमा

श्री संतोष बाफना, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

नियम समिति

1. श्री राजशरण भगत
2. श्री विद्यारतन भसीन
3. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा)
4. श्री सत्यनारायण शर्मा
5. श्री भूपेश बघेल

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय विधि मंत्री, इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री अवधेश सिंह चंदेल
2. श्री युद्धवीर सिंह जूदेव
3. श्री रोशनलाल
4. श्री नवीन मारकण्डेय
5. श्री संतोष बाफना
6. श्री पारसनाथ राजवाड़े

7. श्री उमेश पटेल
8. श्री दलेश्वर साहू
9. श्री संतराम नेताम

श्री अवधेश सिंह चंदेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पुस्तकालय समिति

1. श्री रोहित कुमार साय
2. श्री बर्नाड जे. रोड्रिग्स
3. श्री श्रवण मरकाम
4. श्री भोजराज नाग
5. डॉ. प्रीतम राम
6. श्री लालजीत सिंह राठिया
7. श्री संतराम नेताम

श्री रोहित कुमार साय, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री श्याम बिहारी जायसवाल
2. श्री संतोष बाफना
3. श्री राजशरण भगत
4. श्री अवधेश सिंह चंदेल
5. श्री बृहस्पत सिंह
6. श्री बघेल लखेश्वर
7. श्री दीपक बैज

श्री श्यामबिहारी जायसवाल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री नवीन मारकण्डेय
2. श्री संतोष उपाध्याय
3. श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे

4. श्री शिवरतन शर्मा
5. श्री जयसिंह अग्रवाल
6. श्री अरूण वोरा
7. श्री मनोज सिंह मण्डावी

श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

आचरण समिति

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. श्री संतोष बाफना
3. श्री शिवरतन शर्मा
4. श्री श्यामलाल कंवर
5. श्री मोहन मरकाम
6. श्री भूपेश बघेल

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री व माननीय नेता प्रतिपक्ष समिति के पदेन सदस्य होंगे।

13. सामान्य प्रयोजन समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234 के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नानुसार सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिए वर्ष 2017-2018 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम-निर्दिष्ट करता हूँ:-

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा
3. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री
4. श्री बद्रीधर दीवान, उपाध्यक्ष, विधान सभा
5. श्री सत्यनारायण शर्मा
6. श्री धनेन्द्र साहू
7. श्री देवजी भाई पटेल
8. श्री शिवरतन शर्मा
9. श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे

10. श्री अशोक साहू
11. श्री श्रीचंद सुंदरानी
12. डॉ. खिलावन साहू
13. श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)
14. श्री संतोष बाफना
15. श्री अवधेश सिंह चंदेल
16. श्री रोहित कुमार साय
17. श्री श्याम बिहारी जायसवाल
18. श्री नवीन मारकण्डेय
19. श्रीमती सरोजनी बंजारे
20. श्री केशव चंद्रा

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

14. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि - चतुर्थ विधान सभा के ग्यारहवें सत्र की आज 21 वीं बैठक है। सत्र की आगामी बैठक अप्रैल माह में गुड्स एवं सर्विस टेक्स को प्रदेश में लागू करने हेतु संकल्प पारित करने हेतु प्रस्तावित है, जिसकी तिथि की सूचना यथा-समय समस्त माननीय सदस्यों को दी जाएगी, उक्त तिथि तक सत्र का अवकाश रहेगा।

मेरा समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि अल्प सूचना में समस्त सदस्य बैठक में हिस्सा लेने उपस्थित हों।

सत्र की आज तक की बैठकों की सांख्यिकीय जानकारी पृथक से पत्रक द्वारा जारी की जा रही है।

सायं 6.36 बजे विधान सभा की कार्यवाही आगामी तिथि तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा